an>

Title: Regarding trafficking of women allegedly by some placement agencies in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, जिस तरह से प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से युवतियों, महिलाओं और बच्चों के तस्करी के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, मैं इस गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दुनियाभर में 80 प्रतिशत मानव तस्करी यौन शोÂषण एवं बंधुआ मजदूरी कराने के लिए होती है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। वर्ष 2011 में लगभग 35,000 बच्चे लापता हुए थे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संक्षेप में अपनी बात कहिए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा।

अध्यक्ष महोदया, देश में महिलाओं और बच्चों की तस्करी के मामलों में पिछले एक साल में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में जहां इनकी संख्या 15,448 थी, वहीं वर्ष 2016 में यह संख्या बढ़कर 20,000 तक पहुंच गयी। दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसीज में जो युवतियां लाई गयीं, उनमें से लगभग 200 युवतियां गायब हैं और यहां बिना लाइसेंस के लगभग 12 एजेंसीज काम कर रही हैं, जो पुलिस सत्यापन भी नहीं करा रही हैं और पिछले 16 वÂाों से इस काम में लगी हुई हैं। इनका नेटवर्क असम, ओडिशा और बंगाल में फैला हुआ है। वहां से लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने से यहां लाकर रखा जाता है और बाद में उनको अपराध की दुनिया में धकेल दिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लेसमेंट एजेंसीज के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जाए और जहां पर उन लोगों को काम पर रखा जाता है, उनका पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य किया जाए। साथ ही, दोÂिाियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाए, जिससे इस जघन्य अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13.35 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS....contd.